II. शब्दविचार (Etymology)

1. शब्दविचार

केवल सार्थक वर्ण या अक्षर अथवा अनेक वर्णों के मेल से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं; जैसे–सोहन मन्दिर जाता है । मोहन गीत गाता है आदि ।

इन वाक्यों में सभी सार्थक ध्वनियाँ हैं, इसलिए इन्हें शब्द कहते हैं । ध्वनियां निरर्थक भी होती हैं; जैसे–'कल कल', 'टर टर' । अकेले तौर पर इनका कोई अर्थ नहीं । इसलिए निरर्थक होने से ये ध्वनियाँ शब्द नहीं कहला सकतीं । किन्तु जब ये ध्वनियाँ किसी वाक्य में किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होती हैं, तब ये भी शब्द कहलाती हैं; जैसे–'चलो रोज़ की कल-कल से तो जान छूटी' यहाँ कल-कल का अर्थ है झगड़ा । इसी प्रकार 'क्या टर-टर लगा रखी है; तुम्हारी कौन सी बात मुझ से छिपी हुई है ।' यहाँ टर-टर का अर्थ है ''व्यर्थ की अनावश्यक बात ।''

(क) व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द-भेद

व्युत्पत्ति (रचना) की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं–

1. रूढ़ि – जिन शब्दों के खण्डों का कुछ अर्थ नहीं होता; जैसे–कलम, दवात । इन शब्दों के खण्ड ये हैं–क+ल+म, द+वा+त । इसमें से किसी एक खण्ड का कुछ अर्थ नहीं निकलता है । इसलिए दोनों शब्द रूढ़ि कहलाते हैं ।

2. यौगिक – जो शब्दों तथा शब्दांशों के योग से बनते हें और जिनके खण्डों का भी कुछ न कुछ अर्थ होता है; जैसे–महात्मा (महा+आत्मा) अर्थात् महान् व्यक्ति, विद्यालय (विद्या+आलय) अर्थात् विद्या का घर । इन शब्दों के खण्डों के भी अर्थ हैं ।

3. योगरूढ़ि – जो योगिक शब्दों की भाँति शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बनें, किन्तु अपने साधारण अर्थ को छोड़ कर विशेष अर्थ को प्रकट करें; जैसे–पीताम्बर–पीत+अम्बर, इसके साधारण अर्थ हैं 'पीले कपड़ों वाला', किन्तु पीले कपड़े वाले को पीताम्बर नहीं कहते । पीताम्बर का अर्थ है श्रीकृष्ण । इसी प्रकार पंकज (पंक+ज) का साधारण अर्थ है 'कीचड़ में उत्पन्न', किन्तु विशेष अर्थ है, 'कमल' । अतः ये शब्द योगरूढ़ि कहलाते हैं ।

(ख) उत्पत्ति की दृष्टि से हिन्दी में चार प्रकार के शब्द हैं

1. तत्सम – संस्कृत के वे शब्द हैं, जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होते हैं; जैसे –पिता, नगर, सुन्दर, आकाश आदि ।

2. तद्भव – संस्कृत के वे शब्द हैं जो परम्परा से विकृत होकर हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होते हैं; जैसे–ग्राम से गांव, उष्ट्र से ऊंट, अग्नि से आग आदि ।

3. देशज – जो शब्द संस्कृत से नहीं लिये गए, अपितु देश की प्रान्तीय भाषाओं से लिये गये हैं या आवश्यकतानुसार नए घड़ लिये गए हैं; जैसे–गाड़ी, खिड़की, रोड़ा, बैंगन, आलू, सेब आदि ।

4. विदेशज – जो शब्द अंग्रेजी, उर्दू, अरबी और फ़ारसी आदि विदेशी भाषाओं से लिये गए हैं; स्कूल, बोतल, वकील, आदमी, बाज़ार, स्टेशन आदि ।

(ग) अर्थ की दृष्टि से शब्द के तीन भेद

अर्थ की दृष्टि से शब्द के तीन भेद हैं–

1. वाचक – जो शब्द अपने वास्तविक या प्रसिद्ध अर्थों, अर्थात् जिन अर्थों के लिये वे नियत हैं, का बोध कराएं उन्हें वाचक कहते हैं; जैसे–गधा, बैल आदि शब्दों से अभिप्राय वे पशु हैं जिनके लिये ये शब्द नियत हैं ।

2. लाक्षणिक – जो शब्द अपने नियत अर्थों को छोड़ कर अपने सादृश्य अथवा उनके गुणों का बोध कराएं उन्हें लाक्षणिक कहते हैं; जैसे–'गधा' शब्द का नियत अर्थ पशु है, किन्तु जब हम किसी को इस प्रकार कहते हैं कि 'तू तो निरा गधा है' यहां गधा का अर्थ पशु नहीं प्रत्युत मूर्ख हो जाता है ।

3. व्यंजक – जिनका प्रकट अर्थ कुछ हो और आन्तरिक आशय कुछ और हो उन्हें व्यंजक शब्द कहते हैं; छुट्टी की घंटी बजी' । घंटी बजने का अर्थ है घर जाने का समय होना । इसी प्रकार प्रातःकाल का अर्थ है निद्रा त्यागना, जागना और सूर्यास्त होना' का अर्थ है शाम होना; दीपक जलाना, आदि । अतः ऐसे शब्दों को व्यंजक कहते हैं ।

(घ) प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के भेद

1. विकारी – जिन शब्दों के रूप वाक्यों के अर्थानुसार बदलते रहते हैं उन्हें विकारी कहते हैं; जैसे–वह कल यहाँ आया था । वे कल यहाँ आए थे ।

प्रथम वाक्य में 'वह' और 'आया' था । शब्दों के रूप बदल गए हैं । अतः वे विकारी शब्द हैं ।

विकारी शब्दों के भेद – साधारण व्यवहार की दृष्टि से ये विकारी शब्द चार प्रकार के हैं–

(क) संज्ञा – जिस शब्द से किसी वस्तु, स्थान, भाव अथवा मनुष्य के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं; जैसे–कलम, दवात, राम, कृष्ण आदि ।

(ख) सर्वनाम – किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं; जैसे–वह, तू, मैं, हम ।

(ग) विशेषण – जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो उसे विशेषण कहते हैं; जैसे–सुन्दर बालक, काला कपड़ा ।

(घ) क्रिया – जिस शब्द से किसी व्यापार के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं; जैसे–राम सोता है, कृष्ण पढ़ता है । इन वाक्यों में 'खाता है', 'सोता है', 'पढ़ता है' क्रियाएं हैं ।

2. अविकारी – जिन शब्दों का रूप वाक्यों में किसी भी अवस्था में नहीं बदलता, उन्हें अविकारी कहते है; जैसे – 'मैं कल जाऊँगा', 'हम कल तक आएंगे' । इनमें 'कल' और 'तक' शब्द अविकारी हैं ।

अविकारी शब्दों के भेद– अविकारी शब्दों के चार भेद हैं ।

(क) क्रिया-विशेषण – क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द क्रिया-विशेषण कहलाते हैं; जैसे–राम धीरे-धीरे पढ़ता है, कृष्ण जल्दी चलता है । इन वाक्यों में 'धीरे-धीरे' और 'जल्दी' क्रिया-विशेषण हैं ।

(ख) सम्बन्ध बोधक – जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ सम्बन्ध जोड़ते हैं; जैसे–'मेरे पीछे मत आओ', 'घर के भीतर मत जाओ' । इन वाक्यों में 'पीछे' और 'भीतर' शब्द सम्बन्ध बोधक है ।

(ग) समुच्चय बोधक अथवा योजक – जो शब्द दो वाक्यों और वाक्यांशों को मिलाते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अथवा योजक कहते हैं; जैसे–'राम और शाम अच्छे हैं, परन्तु सोहन बुरा है' । इस वाक्य में 'और' तथा 'परन्तु' शब्द योजक है ।

(घ) विस्मयादि बोधक अथवा द्योतक – जिन शब्दों द्वारा वक्ता के हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि मन के विचारों का बोध हो; जैसे –अहा ! आप आ गए । 'हाय ! मैं मर गया ।' इन वाक्यों में 'अहा' और 'हाय' द्योतक है ।

2. संज्ञा (Noun)

जो शब्द किसी वस्तु, स्थान, भाव अथवा व्यक्ति के नाम का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं । इनके तीन भेद हैं–

1. व्यक्तिवाचक – जो शब्द किसी एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध करवाएं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे–श्रीराम, श्रीकृष्ण, गंगा, हिमालय आदि ।

2. जातिवाचक – जिनसे एक जाति के सब पदार्थों का एक साथ, समान रूप से बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे –बालक, स्कूल, नगर, भवन आदि ।

3. भाववाचक – जिनसे किसी पदार्थ के धर्म, गुण, दोष अथवा व्यापार आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे–मित्रता, सौन्दर्य, मिठास, बोध, वीरता आदि ।

विशेष – कई वैयाकरण संज्ञा के निम्नलिखित दो ओर भेद भी मानते हैं–

1. समुदायवाचक – जिनसे सजातीय व्यक्त्यिों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे –सेना, सभा, श्रेणी, मेला आदि ।

2. द्रव्यवाचक – जिनसे द्रव्यों (धातुओं) का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे–सोना, चांदी, लोहा आदि ।

विशेष नियम–

(क) जातिवाचक संज्ञा जब सारे पदार्थों को न बता कर एक ही पदार्थ का बोध कराती है तो वह व्यक्तिवाचक बन जाती है; जैसे–

(1) तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए ।

(2) तुलसी ने रामाचरितमानस लिख कर भारत पर उपकार किया ।

पहले वाक्य में तुलसी जातिवाचक है और दूसरे में व्यक्तिवाचक ।

(ख) इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जब जाति का बोध कराते हैं,

तो वे भी बदल जाते हैं । व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रायः एक वचन में होती है और जब उसे बहुवचन बना दिया जाता है तो वह जातिवाचक बन जाती है; जैसे–

1. जनक की पुत्री का नाम सीता था ।

2. भगवान् करे घर-घर में सीताएं हों ।

पहले वाक्य में 'सीता' शब्द व्यक्तिवाचक है, किन्तु दूसरे में 'सीताएं' शब्द जातिवाचक है ।

कहीं-कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में रहती हुई भी जातिवाचक बन जाती है; जैसे– शैक्सपीयर इंग्लैंड का कालिदास था ।

(ग) भाववाचक संज्ञा शब्द जब पदार्थों के धर्म अवस्था के भाव को न बता कर केवल उन वस्तुओं का ही बोध कराते हैं जो वे भी भाववाचक बन जाते हैं; जैसे–हमें दिखलावा अच्छा नहीं लगता; प्रत्येक देश का पहरावा पृथक्-पृथक् होता है ।

व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कब जातिवाचक बन जाती हैं

जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष गुण को प्रकट करती है तब वह संज्ञा व्यक्तिवाचक न रह कर जातिवाचक बन जाती है; जैसे–आज हमारे देश में राम और भरत से भाई कहाँ रह गए हैं, आज तो घर-घर में रावण और विभीषण पैदा हो गए हैं । यहाँ राम और भरत से राम और भरत का विशेष गुण 'भ्रातृ-प्रेम' अभिप्रेत है और रावण और विभीषण से उनका विशेष दुर्गुण 'भाई-भाई का झगड़ा' अभिप्रेत है । अतः ये राम, भरत, रावण तथा विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक बन जाते हैं ।

जातिवाचक संज्ञाएं कब व्यक्तिवाचक बन जाती हैं

'सरदार पटेल ने नए सिरे से भारत को संगठित करके पुनर्जीवन प्रदान किया है', 'गोसाई' जी को उनके रामचरितमानस ने अमर कर दिया है । यहां पटेल और गोसाई जातिवाचक संज्ञाएं हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयुक्त हुई हैं । क्योंकि पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोसाईं से गोसाईं तुलसीदास जी अभिप्रेत हैं ।

भाववाचक संज्ञाओं के बनाने के नियम

1. कभी भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं से बनती हैं; जैसे–शत्रु से शत्रुता, मित्र से मित्रता, लड़का से लड़कपन, मनुष्य से मनुष्यता, पशु से पशुता आदि ।

2. कभी भाववाचक संज्ञाएं सर्वनाम से बनती हैं; जैसे–वीर से वीरता, सुन्दर से सुन्दरता, मूर्ख से मूर्खता, चतुर से चतुराई, विद्वान् से विद्वता आदि ।

3. कभी भाववाचक संज्ञाएं विशेषण से बनती हैं; जैसे–अहं से अहंकार, अपना से अपनत्व, मम से ममता ।

4. कभी भाववाचक संज्ञाएं क्रिया से बनती हैं; जैसे–पढ़ना से पढ़ाई, खेलना से खेल, हँसना से हँसी, चलना से चाल, लिखना से लिखाई, बचना से बचाव आदि ।

5. कभी-कभी अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है; जैसे–दूर से दूरी, समीप से समीपता ।

कुछ भाववाचक संज्ञाएं

शब्द	भाववाचक संज्ञा	शब्द	भाववाचक संज्ञा
लड़का	लड़कपन	हंसना	हंसी
गहरा	गहराई	लम्बा	लम्बाई
मारना	मार	मोटा	मोटापन
खोटा	खोटापन	छोटा	छोटापन
मनुष्य	मनुष्यता	संग	संगति
बालक	बालकपन	ढीठ	ढिठाई
बड़ा	बड़प्पन	मम	ममत्व
मनोहर	मनोहरता	झूठा	झूठ
बुरा	बुराई	मधुर	मधुरता
मीठा	मिठास	बूढ़ा	बुढ़ापा
दास	दासता	भला	भलाई
खेलना	खेल	चलना	चाल
मरना	मरण	शांत	शांति

संज्ञाओं में परिवर्तन–

वाक्यों के अर्थानुसार विकारी शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारकों के कारण परिवर्तन होता रहता है; जैसे–चूहा दौड़ता है, चुहिया दौड़ती है (लिंग) चूहे दौड़ते हैं, (वचन); चूहा भागा, चूहे को पकड़ो (कारक) ।

नीचे क्रमशः लिंग, वचन और कारक का वर्णन करते हैं ।

(1) लिंग–

संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति (पुरुष अथवा स्त्री) का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं । हिन्दी में लिंग दो ही हैं–पुँल्लिंग और स्त्रीलिंग ।

पुँल्लिंग – जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें पुँल्लिंग कहते हैं; जैसे–पिता, पुत्र, भाई, चाचा आदि ।

स्त्रीलिंग – जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं; जैसे–माता, पुत्री, बहिन, चाची आदि ।

विशेष – संस्कृत में नपुंसक लिंग का प्रयोग अलग होता है । परन्तु हिन्दी में नपुंसक लिंग पुँल्लिंग में ही आ जाता है ।

लिंग निश्चय करने के नियम

1. जो सजीव संज्ञाएं पुरुषवाचक हैं, वे पुँल्लिंग और जो स्त्रीवाचक हैं वे स्त्रीलिंग; जैसे – पिता, पुत्र, भाई, चाचा आदि पुँल्लिंग और पुत्री, बहिन, चाची आदि स्त्रीलिंग हैं ।

निर्जीव पदार्थों के लिंग के निर्णय के लिए नीचे लिखे नियम याद रखने चाहिएं । ये नियम पुँल्लिंग का आभास कराते हैं ।

(1) पर्वत आदि मोटी, भारी वस्तुओं के नाम – हिमालय, कैलाश आदि ।

(2) दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार ।

(3) मासों के नाम–चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ आदि ।

(4) वृक्षों के नाम–पीपल, बढ़, अमरूद, अनार ।

(5) ग्रहों के नाम–सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध आदि ।

(6) व्यवसाय आदि बताने वाले नाम—दर्जी, धोबी, बढ़ई, लोहार, आदि ।

(7) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में पन, आवा, त्व और आपा प्रत्यय हों जैसे—बचपन, बढ़ावा, वीरत्व, बुढ़ापा आदि ।

(8) संस्कृत के कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी पुँल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं; जैसे—देवता, व्यक्ति ।

(9) प्राणियों के समूहों को बतलाने वाली संज्ञाएं व्यवहार के अनुसार दोनों लिंगों में प्रयुक्त होती हैं; जैसे—संघ, मण्डल, समूह, समुदाय आदि ।

2. ये नियम स्त्रीलिंग का आभास कराते हैं ।

(1) नदियों तथा प्रायः छोटी तथा हल्की-फुल्की वस्तुओं के नाम—पहाड़ी, राई, गंगा, यमुना ।

(2) तिथियों के नाम—प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आदि ।

(3) नक्षत्रों के नाम—अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि ।

(4) लताओं के नाम—सोमलता, कल्पलता ।

(5) भाषाओं के नाम—हिन्दी, पंजाबी, अरबी, फ़ारसी आदि ।

(6) जिन भाववाचक शब्दों के अन्त में ता, आई, वट, हट आदि प्रत्यय हों; जैसे—कृपणता, भलाई, गिरावट, सजावट, चिकनाहट आदि ।

(7) संस्कृत के कुछ पुँल्लिंग शब्द हिन्दी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं; जैसे—अग्नि, वायु, महिमा, ऋतु, आत्मा, राशि, विजय आदि ।

(8) स्त्री, समिति, सभा, परिषद्, कमेटी आदि शब्द स्त्रीलिंग हैं ।

पुँल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम

1. जिन शब्दों के अन्त में आकार अथवा अकार हो, उनके अन्त में अ और आ के स्थान पर 'ई' प्रत्यय लगा देते हैं; जैसे—

पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग
नर	नारी	पुत्र	पुत्री
चाचा	चाची	देव	देवी
मामा	मामी	दास	दासी

2. कुछ आकारान्त शब्दों के अन्त में 'आ' के स्थान पर 'इया' लगा देते हैं;

पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग
चूहा	चुहिया	कुत्ता	कुतिया
लोटा	लुटिया	डिब्बा	डिबिया
बूढ़ा	बुढ़िया	बेटा	बिटिया

3. व्यवसाय सूचक पुँल्लिंग शब्दों में 'इन' लगाने से; जैसे–

पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग
धोबी	धोबिन	सुनार	सुनारिन
चमार	चमारिन	कहार	कहारिन
जुलाहा	जुलाहिन	नाई	नाइन
लोहार	लोहारिन	ग्वाला	ग्वालिन
माली	मालिन	भंगी	भंगिन

4.उपनाम वाचक अथवा पदवी-सूचक शब्दों के अन्तिम स्वर के स्थान पर आइन लगा देते हैं; जैसे–

पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग
ठाकुर	ठकुराइन	चौबे	चौबाइन
पण्डा	पण्डाइन	दूबे	दुबाइन
ओझा	ओझाइन	बाबू	बबुआइन

5. कुछ आकारान्त शब्दों के अन्त में 'नी' लगाने से; जैसे–

पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग
मोर	मोरनी	शेर	शेरनी
जाट	जाटनी	ऊँट	ऊँटनी
सिंह	सिंहनी	राजपूत	राजपूतनी

6. कुछ आकारान्त शब्दों के अन्त में 'आनी' प्रत्यय लगाने से' जैसे–

पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग
देवर	देवरानी	सेठ	सेठानी
जेठ	जेठानी	नौकर	नौकरानी
चौधरी	चौधरानी	खत्री	खत्राणी
मेहतर	मेहतरानी	मुगल	मुगलानी

7. संस्कृत के पुँल्लिंग शब्द जो हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं । उनके अन्त में आ प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं । जैसे–

पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग
प्रिय	प्रिया	सुत	सुता
विशारद	विशारदा	बालक	बालिका
बाल	बाला	शूद्र	शूद्रा, शूद्री

8. कुछ पुँल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग सदा निश्चित हैं जैसे–

पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग
पिता	माता	राजा	रानी
वर	वधू	बैल	गाय
बाप	मां	मर्द	औरत
भाई	भावज	पुरुष	स्त्री
ससुर	सास	बालक	बालिका

9. कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग पुँल्लिंग से भिन्न होते हैं; जैसे–

पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुँल्लिंग	स्त्रीलिंग
विधुर	विधवा	साहिब	मेम
बेटा	बहु (पुत्रवधु)		

2. वचन (Number)

शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु के लिए एक अथवा अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं । हिन्दी में दो वचन हैं–(1) एकवचन और (2) बहुवचन ।

एकवचन (Singular) –संज्ञा का जो रूप एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराये उसे एकवचन कहते हैं; जैसे–लड़का, बहन ।

बहुवचन (Plural) –संज्ञा का जो रूप एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराये उसे बहुवचन कहते हैं; जैसे–मालाएं, लड़के, बहिनें ।

एकवचन में बहुवचन का प्रयोग

1. कभी-कभी जातिवाचक शब्द एकवचन में भी बहुवचन का बोध कराते हैं । यहाँ अमरूद बहुत होता है । इस वाक्य में अमरूद से एक अमरूद अभिप्रेत नहीं प्रत्युत इसका अर्थ है कि यहाँ बहुत अमरूद होते हैं । इसी प्रकार ''गाय का दूध बड़ा स्वादु होता है ।'' इस वाक्य में एक गाय का दूध अभिप्रेत नहीं ।

एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम

1. आकारान्त पुँल्लिंग शब्द में 'आ' का 'ए' में बदल लेते है; जैसे–

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
लड़का	लड़के	घोड़ा	घोड़े
बच्चा	बच्चे	तोता	तोते
लोटा	लोटे	कपड़ा	कपड़े
पेड़ा	पेड़े	शीशा	शीशे

2. अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के अन्तिम 'अ' को 'एं' में बदल देते हैं; जैसे–

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
पुस्तक	पुस्तकें	मेज	मेजें
कलम	कलमें	बहिन	बहिनें
दवात	दवातें	रात	रातें
आंख	आंखें	बात	बातें

3. इकारान्त और ईकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अन्तिम 'ई' को ह्रस्व करके अन्त में 'यां' जोड़ देते हैं; जैसे–

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
तिथि	तिथियां	शक्ति	शक्तियां
रीति	रीतियां	नीति	नीतियां
नदी	नदियां	कापी	कापियां
रानी	रानियां	नारी	नारियां
धोती	धोतियां	सखी	सखियां
लड़की	लड़कियां	श्रुति	श्रुतियां

4. 'या' अन्त वाले शब्दों में 'या' पर चन्द्र बिन्दु (ँ) लगा देते हैं; जैसे–

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
चिड़िया	चिड़ियाँ	बुढ़िया	बुढ़ियाँ
गुड़िया	गुड़ियाँ	डिबिया	डिबियाँ

5. आकारान्त और उकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के अन्त में 'एँ' जोड़ते हैं और ऊकारान्त शब्दों के अन्तिम 'ऊ' को ह्रस्व हो जाता है और अन्त में 'ए' लगा देते हैं; जैसे–

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
माता	माताएँ	माला	मालाएँ
लता	लताएँ	कथा	कथाएँ
कन्या	कन्याएँ	कला	कलाएँ
वस्तु	वस्तुएँ	ऋतु	ऋतुएँ
वधू	वधुएँ	बहू	बहुएँ

6. आकारान्त पुँल्लिंग शब्दों को छोड़ कर शेष पुँल्लिंग शब्द एकवचन और बहुवचन में रहते हैं; जैसे–

आम वृक्ष से गिर पड़ा, आम वृक्ष से गिर पड़े; शेर चिंघाड़ता है, शेर चिंघाड़ते हैं; तीतर भूखा है, तीतर भूखे हैं; उल्लू रात को निकलता है, उल्लू रात को निकलते हैं ।

7. किसी संज्ञा के एकवचन के साथ गण, लोग, वर्ग, स्त्री जाति और दल आदि ।

8. दर्शन, प्राण, बाल, समाचार, भाग्य आदि प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं; जैसे–

आप के दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं; प्राण बचे सो लाखों पाए; अब जब कि मेरे बाल सफेद हो गए हैं विवाह की बातें अनुचित सी प्रतीत होती हैं भिखारी के भाग्य खुल गए; नागरिकों ने नेता जी के दर्शन किये ।

फुटकर बहुवचन रूपावली

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
स्त्री	स्त्रियां	रात	रातें
नदी	नदियां	कपड़ा	कपड़ें
आंख	आंखें	दिशा	दिशाएं
शाखा	शाखाएं	गुड़िया	गुड़ियां
गुरु	गुरुओं	बन्धु	बन्धुओं
साधु	साधुओं	टोली	टोलियां
विधि	विधियां	बेड़ी	बेड़ियां
शत्रु	शत्रुओं	गौ	गौएं
राजा	राजाओं	लोटा	लोटे
तोता	तोते	बहू	बहुएँ

(3) कारक (Case)

संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों से सम्बन्ध ज्ञात हो उस रूप को कारक कहते हैं; जैसे–

''मोहन ने सोहन को स्कूल में डंडों से मारा ।'' इस वाक्य में मोहन ने, सोहन को, स्कूल में, डंडों से, ये संज्ञाओं के रूपान्तर हैं । इन रूपान्तरों द्वारा कई संज्ञाओं का आपस में और मारा क्रिया से सम्बन्ध प्रकट होता है । अतः येसब कारक हैं ।

विभक्ति – कारक प्रकट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ ने, से, का आदि जो चिह्न लगाये जाते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं । विभक्ति रहित को शब्द और विभक्ति सहित को पद कहते हैं ।

विशेष

1. हिन्दी में विभक्ति प्रायः शब्दों से पृथक् रहती है । किन्तु कुछ लोग मिला कर भी लिखते हैं; जैसे–लेखक ने कोई कसर नहीं छोड़ी ।

2. हिन्दी में प्रायः विभक्ति के पश्चात् दूसरा कोई प्रत्यय नहीं लगता, किन्तु कहीं-कहीं अधिकरण कारक की विभक्ति के पश्चात् सम्बन्ध अथवा अपादान कारक की विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं; जैसे–अपनी कलम पुस्तक से निकाल लो ।

हिन्दी में 8 कारक हैं, जिनके नाम तथा चिह्न इस प्रकार हैं–

	कारक	विभक्ति चिह्न
1.	कर्त्ता	ने
2.	कर्म	को
3.	करण	से, के द्वारा, के साथ
4.	सम्प्रदान	को, के लिए, के साथ
5.	अपादान	से (पृथकत्व बोधक)
6.	सम्बन्ध	का, के, की; रा, रे, री; ना, ने, नी
7.	अधिकरण	में, पर
8.	सम्बोधन	हे, रे, अरे, अजी, अहो ।

कारकों के सोदाहरण लक्षण

1. कर्त्ता (Nominative) – संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्त्ता कहते हैं; जैसे–अर्जुन ने कर्ण को

मारा । यहाँ मारने की क्रिया को करने वाला अर्जुन है; अतः 'अर्जुन ने' कर्त्ता है ।

2. कर्म (Objective) – संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो उस वस्तु का बोध कराए जिस पर कर्त्ता के व्यापार का फल पड़ता हो; जैसे –अर्जुन ने कर्ण को मारा । यहां अर्जुन के मारने के व्यापार का फल कर्ण पर पड़ता है । अतः 'कर्ण को' कर्म कारक है ।

3. करण (Instrumental) –संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के साधन का बोध हो; जैसे–''अर्जुन ने कर्ण को तीर से मारा ।'' यहां कर्ण के मारने का साधन तीर है । अतः 'तीर' करण कारक है ।

4. सम्प्रदान (Dative) – जिसके लिए क्रिया की जाती है, उसका बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को सम्प्रदाय कहते हैं, जैसे–''अर्जुन ने पाप के नाश के लिये कर्ण को मारा ।'' यहाँ 'पाप के नाश के लिए' सम्प्रदाय कारक है ।

5. अपादान (Ablative)– संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकत्व (जुदाई) का बोध हो उसे अपादान कहते हैं; जैसे–''अर्जुन का तीर लगते ही कर्ण रथ से गिर पड़ा ।'' यहाँ 'रथ से' अपादान कारक है । इसके अतिरिक्त अपादान कारक आरम्भ, लगना, भय और लज्जा के अर्थों में प्रयुक्त होता है; जैसे मैं कल से पढूंगा (आरम्भ) । राम श्याम से सुन्दर है । (तुलना) । कृष्ण मनोहर से डरता है (भय) । सरला मुझ से शर्माती है (लज्जा) ।

विशेष–करण और अपादान दोनों कारकों का विभक्ति चिह्न 'से' है–जिससे प्रायः विद्यार्थियों को इन दो कारकों की पहचान में संशय सा हो जाता है, किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि करण कारक साधन सूचक है और अपादान कारक पृथ्कत्व सूचक है ।

6. सम्बन्ध (Genitive)–संज्ञा का जो रूप एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सम्बन्ध प्रकट करे, उसे सम्बन्ध कहते हैं; 'अर्जुन का तीर' , 'भीम की गदा' । यहाँ 'अर्जुन का' और 'भीम की' सम्बन्ध कारक हैं ।

7. अधिकरण (Locative)–संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते है; जैसे–''अर्जुन ने करण को रणभूमि में मारा।'' यहाँ मारने की क्रिया का आधार रणभूमि है। अतः 'रणभूमि में' अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक दो प्रकार का होता है–(1) आभ्यांतर (2) बाह्य।

पहले की विभक्ति 'में' है और दूसरे की 'पर' है।

8. सम्बोधन (Vocative) – संज्ञा का जो रूप चेतावनी अथवा किसी को पुकारने का सूचक हो; जैसे–''प्रभो! हमें निर्भय बनाओ।'' इस वाक्य में प्रभु को सम्बोधित किया गया है अतः यहाँ 'प्रभु' सम्बोधन कारक है।

कारक रचना से संज्ञाओं में विकार

एकवचन –पुँल्लिंग आकारान्त शब्दों के अन्तिम 'अ' को एकवचन में 'ए' होता है; जैसे–लड़के को, घोड़े को।

अपवाद–1. राजा आदि शब्दों में 'ने' विभक्ति लगाने पर एकवचन में ए नहीं होता; जैसे – राजा ने।

2. कुछ आकारान्त शब्दों के अन्तिम आ को ए नहीं होता; जैसे–पिता से, चन्द्रमा को, जावा में, एशिया में; आदि।

3. शेष सब पुँल्लिंग, आकारान्त पुँल्लिंग तथा इया प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग शब्दों में अन्तिम 'अ' को 'ओं' हो जाता है और सम्बोधन में 'ओ' हो जाता है; जैसे–

पुस्तक – पुस्तकों, लोटा–लोटों, चूहिया–चूहियों।

सम्बोधन–हे लड़को! हे बालको!

2. आकारान्त पुँल्लिंग शब्दों, उकारान्त, ऊकारान्त, एकारान्त, ऐकारान्त और ओकारान्त पुँल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में एकवचन के अन्त में 'ओं' लग जाता है।

मामा– मामाओं, देवता–देवताओं, गुरु–गुरुओं, बहू–बहुओं।

3. इकारान्त और ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के अन्त में 'यो' लगाते हैं; जैसे–पति–पतियों, नारी–नारियों।

सम्बोधन–लड़कियों! नारियों!

विशेष–विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कारकों का संक्षिप्त चित्र निम्न प्रकार से दिया जाता है ।

संख्या	कारक	लक्षण	विभक्ति चिह्न
1.	कर्त्ता (Nominative)	संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के करने वाले का बोध हो ।	ने, से
2.	कर्म (Objective)	संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो उस वस्तु का बोध कराये जिस पर कर्त्ता के व्यापार का फल पड़ता हो ।	को
3.	करण (Instrumental)	संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे साधन का बोध हो ।	के साथ, द्वारा
4.	सम्प्रदान (Dative)	जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को सम्प्रदान कहते हैं ।	के लिए, वास्ते
5.	अपादान (Ablative)	संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकत्व का बोध हो ।	से
6.	सम्बन्ध (Genitive)	संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सम्बन्ध प्रकट हो ।	का, के, की रा, रे, री ना, ने, नी
7.	अधिकरण (Locative)	संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो ।	में, पर
8.	सम्बोधन (Vocative)	संज्ञा का जो रूप किसी को पुकारने का सूचक हो ।	हे, ओ, रे, अरे अबे !

संज्ञाओं की रूपावली

अकारान्त पुँल्लिंग शब्द 'कुमार'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	कुमार, कुमार ने	कुमार, कुमारों ने
कर्म	कुमार, कुमार को	कुमार, कुमारों को
करण	कुमार से	कुमारों से
सम्प्रदान	कुमार को, के लिए	कुमारों को, के लिए
अपादान	कुमार से	कुमारों से
सम्बन्ध	कुमार का, के, की	कुमारों का, के, की
अधिकरण	कुमार में, पर	कुमारों में, पर
सम्बोधन	हे कुमार !	हे कुमारो !

इस प्रकार सभी अकारान्त पुँल्लिंग, देव, राम, छात्र, पात्र, वृक्ष, औषध, नगर, ग्राम, मास, सप्ताह, पक्ष, दिन, सूर्य, नक्षत्र, मित्र, जन आदि शब्दों के रूप बनते हैं ।

अकारान्त स्त्रीलिंग शब्द 'बहिन'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	बहिन, बहिन ने	बहिन, बहिनों ने
कर्म	बहिन, बहिन को	बहिन, बहिनों को
करण	बहिन से	बहिनों से
सम्प्रदान	बहिन को, के लिए	बहिनों को, के लिए
अपादान	बहिन से	बहिनों से
सम्बन्ध	बहिन का, के, की	बहिनों का, के, की
अधिकरण	बहिन में, पर	बहिनों में, पर
सम्बोधन	हे बहिन !	हे बहिनो !

इस प्रकार सभी अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के रूप बनते हैं ।

अकारान्त स्त्रीलिंग शब्द 'घोड़ा'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	घोड़ा, घोड़े ने	घोड़े, घोड़ों ने
कर्म	घोड़ा, घोड़े को	घोड़ों को
करण	घोड़े से	घोड़ों से
सम्प्रदान	घोड़े को	घोड़ों को
अपादान	घोड़े से	घोडों से
सम्बन्ध	घोड़े का, के, की	घोड़ों का, के, की
अधिकरण	घोड़े में, पर	घोड़ों में, पर
सम्बोधन	(अरे) घोड़े !	(अरे) घोड़ो !

इस प्रकार सभी आकारान्त पुँल्लिंग शब्दों के रूप बनते हैं, किन्तु कुछ ऐसे आकारान्त पुँल्लिंग शब्द भी हैं जिनके एकवचन में आ को 'ए' नहीं होता और बहुवचन में आ को 'ओ' नहीं होता,बल्कि आ के आगे ओं जोड़ा जाता है, जैसे राजा से, राजाओं से, पिता से, पिताओं से । जिन शब्दों में इस प्रकार परिवर्तन होता है; उन्हें 'विकारी' और जिनमें नहीं होता उन्हें 'अविकारी' कहा जाता है । उदाहरणार्थ एक ऐसे आकारान्त पुँल्लिंग शब्द पिता के रूप नीचे दिये जाते हैं ।

आकारान्त पुँल्लिंग शब्द 'पिता'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	पिता, पिता ने	पिता, पिताओं ने
कर्म	पिता को	पिताओं को
करण	पिता से	पिताओं से
सम्प्रदान	पिता को, के लिए	पिताओं को, के लिए
अपादान	पिता से	पिताओं से
सम्बन्ध	पिता का, के, की	पिताओं का, के, की
अधिकरण	पिता में, पर	पिताओं में, पर
सम्बोधन	हे पिता !	हे पिताओ !

इस प्रकार, दादा, देवता, नाना, चन्द्रमा आदि आकारान्त पुँल्लिंग शब्दों के रूप बनते हैं ।

3. सर्वनाम और उसके भेद

जो शब्द पुनरुक्ति (दुहराना) दोष को हटाने के लिए किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर उसके अर्थों को प्रकट करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं।

उदाहरण – ''राम कुमार ठीक तीन बजे छुट्टी मिलते ही घर पहुँचा, अपने पिता जी को प्रणाम किया, अपनी माता जी के चरण छुए, पुनः कुछ खाकर वह खेलने चला गया। यदि इस वाक्य को इस प्रकार लिखते कि राम कुमार ठीक तीन बजे छुट्टी मिलते ही अपने घर पहुँचा, राम कुमार ने अपने पिता जी को प्रणाम किया, राम कुमार ने माता जी के चरण छुए पुनः कुछ खाकर राम कुमार खेलने चला गया'' तो कितना भद्दा लगता। एक ही वाक्य में एक संज्ञा के बार-बार दुहराने का नाम पुनरुक्ति दोष है। इसको हटाने के लिए सर्वनामों को प्रयोग में लाया जाता है, जैसे उपरिलिखित वाक्यों में राम कुमार के स्थान पर 'अपने', 'अपनी' और 'वह; सर्वनाम प्रयुक्त हैं।

हिन्दी भाषा में प्रायः निम्नलिखित सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं–मैं, तू, वह, यह, जो, सो, कोई, कौन, क्या, सब, कुछ। इन सर्वनामों को प्रयोग के अनुसार पाँच श्रेणियों में बाँट दिया गया है–

(1) पुरुषवाचक (Personal)

(2) निश्चयवाचक (Demonstrative)

(3) अनिश्यवाचक (Indefinite)

(4) सम्बन्धवाचक (Relative)

(5) प्रश्नवाचक (Interrogative)

1. पुरुषवाचक सर्वनाम (Personal Pronouns) – जिन सर्वनामों से बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो, उसका बोध हो, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।

पुरुष तीन होते हैं–उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष।

उत्तम पुरुष (First Person) – जिसका प्रयोग बोलने तथा लिखने वाला अपने लिए करता है, जैसे–मैं (एकवचन), हम (बहुवचन)।

मध्यम पुरुष (Second Person) – जिसका प्रयोग सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के लिए होता है–तू (एकवचन), तुम (बहुवचन)।

अन्य पुरुष (Third Person) – जिसका प्रयोग उसके लिए होता है, जिसके विषय में कुछ कहा या लिखा जा रहा हो, जैसे –वह (एकवचन), वे (बहुवचन), यह, ये, जो, सो आदि।

विशेष (1) यद्यपि 'मैं' उत्तम पुरुष के एकवचन के लिए और 'हम' उत्तम पुरुष के बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है, किन्तु कई स्थानों पर 'हम' भी उत्तम पुरुष के एकवचन के अर्थों में प्रयुक्त होता है; जैसे–

(क) लेखक और अन्य रचयिता अपने लिए 'हम' का प्रयोग करते हैं।

(ख) उच्च पदाधिकारी जब अपने अधिकार से किसी बात की घोषणा करते हैं तो अपने लिए 'हम' का प्रयोग करते हैं।

(ग) प्रायः अभिमान अथवा क्रोध में मनुष्य अपने लिए'हम' का प्रयोग करते हैं।

(2) प्रायः 'तू' का प्रयोग मध्यम पुरुष एकवचन के लिए और 'तुम' का मध्यम पुरुष बहुवचन के लिए होता है, किन्तु कभी-कभी आदर के लिए 'तुम' का प्रयोग एकवचन के लिए कर लिया जाता है।

(3) 'आप' का प्रयोग 'तू' और 'तुम' के स्थान पर आदर के लिए होता है। निज अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है। कई वैयाकरण 'आप' शब्द के प्रयोग के लिए 'निजवाचक' एक पृथक् सर्वनाम मानते हैं। 'मैं' आज जा रहा हूँ; कमला आप चल कर आई है; 'रमेश ने अपना आप बिगाड़ लिया है। 'तू' अपने आपको क्यों विपत्ति में डाल रहा है। 'वह' अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारता है, आदि उसके उदाहरण हैं। इसे अंग्रेज़ी में (Reflexive Pronouns) कहते हैं।

2. निश्चयवाचक सर्वनाम (Demonstrative or Definite Pronouns) – जो सर्वनाम किसी वस्तु का निश्चय करते हैं उन्हें

निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं । इन को संकेत अथवा निर्देशवाचक सर्वनाम भी कहते हैं ।

अन्य पुरुषवाचक 'यह, ये', 'वह, वे' निश्चयवाचक सर्वनाम हैं । 'यह, ये' समीपवर्ती वस्तुओं का निश्चय कराते हैं, और 'वह, वे' दूरवर्ती वस्तुओं का बोध कराते हैं ।

3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम (Indefinite Pronouns) – जो सर्वनाम किसी विशेष वस्तु का बोध न करा कर अनिश्चित् वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे–कोई, कुछ ।

विशेष (क) 'कोई' का प्रयोग निम्न स्थानों पर होता है–(1) ज्ञात व्यक्ति के लिए । (2) कोई से पहले 'सब' लग जाए तो उसके अर्थ सब लोग हो जाते हैं और यदि कोई से पहले 'हर' लग जाए तो उसके अर्थ होते हैं हर कोई या प्रत्येक, (3) जब कोई का दो बार प्रयोग हो तो उससे बहुत्व का बोध होता है; जैसे–कोई-कोई । कई वैयाकरण 'किन्हीं ने', 'किन्हीं से' आदि रूप लिखते हैं, परन्तु यह सर्वसम्मत नहीं ।

(ख) 'कुछ' का प्रयोग –(1) प्रायः विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है । (2) अज्ञात वस्तु के लिए (3) 'कुछ का कुछ' का अर्थ विपरीतार्थक होता है । (4) 'कुछ न कुछ' किसी एक चीज के थोड़े-बहुत अस्तित्व का बोध कराता है । (5) 'कुछ एक' का अर्थ है 'थोड़ी सी' ।

4. सम्बन्धवाचक सर्वनाम (Relative Pronouns) – जो सर्वनाम एक बात का दूसरी बात से सम्बन्ध प्रकट करते हैं, उन्हें सम्बन्ध वाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे–जो बोएगा सो काटेगा । 'सो' विकृत रूप एकवचन में 'तिस' और बहुवचन में 'तिन' होता है; जैसे–तिसने–उसने, तिनको–उनको, तिनका–उनका ।

5. प्रश्नवाचक सर्वनाम (Interrogative Pronouns) – जिन सर्वनामों से किसी प्रश्न का बोध होता हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे–कौन, क्या ।

विशेष–'क्या' का प्रयोग अप्राणियों के लिए होता है और 'कौन' का प्रयोग प्राणियों के लिए होता है । कभी-कभी कौन का प्रयोग तिरस्कार के लिए होता है, जैसे–कौन है जो मेरी ओर आँख उठा सके? 'क्या' की कारक

रचना नहीं होती । इस के स्थान पर 'काहे' के साथ विभक्तियाँ जोड़ी जाती हैं ।

सर्वनामों के स्वरूप

(1) सर्वनामों के रूप केवल वचन और कारक के कारण बदलते रहते हैं । लिंग के कारण इनमें कोई विकार नहीं होता ।

(2) सर्वनामों का सम्बोधन कारक नहीं होता, क्योंकि लोगों को नामों से पुकारा जाता है, न कि सर्वनामों से ।

वचन और कारक के कारण सर्वनामों में जो परिवर्तन होता है, वह नीचे सर्वनामों की रूपावली में दिया जाता है–

सर्वनामों की रूपावली

पुरुषवाचक (उत्तम पुरुष) 'मैं'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	मैं, मैंने	हम, हमने
कर्म	मुझको, मुझे	हम को, हमें
करण	मुझ से	हम से
सम्प्रदान	मुझको, मुझे	हम को, हमें
अपादान	मुझ से	हम से
सम्बन्ध	मेरा, मेरे, मेरी	हमारा, हमारे, हमारी
अधिकरण	मुझ में, पर	हम में, पर

पुरुषवाचक (मध्यम पुरुष) 'तू'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	तू, तू ने	तुम, तुमने
कर्म	तुझ को, तुझे	तुम को, तुम्हें
करण	तुझ से	तुम से
सम्प्रदान	तुझ को, तेरे लिए	तुम्हें, तुम्हारे लिए
अपादान	तुझ से	तुम से
सम्बन्ध	तेरा, तेरे, तेरी	तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी
अधिकरण	तुझ में, पर	तुम में, पर

पुरुषवाचक (अन्य पुरुष) और निश्चयात्मक 'यह'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	यह, इसने	ये, इन्होंने
कर्म	इसको, इसे	इनको, इन्हें
करण	इससे	इनसे
सम्प्रदान	इसको, के लिए	इनको, के लिए
अपादान	इससे	इनसे
सम्बन्ध	इसका, के, की	इनका, के, की
अधिकरण	इसमें, पर	इनमें, पर

पुरुषवाचक (अन्य पुरुष) और निश्चयवाचक 'वह'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	वह, उसने	वे, उन्होंने
कर्म	उसको, उसे	उनको, उन्हें
करण	उससे	उनसे
सम्प्रदान	उसको, के लिए	उनको, के लिए
अपादान	उससे	उनसे
सम्बन्ध	उसका, के, की	उनका, के, की
अधिकरण	उसमें, पर	उनमें, पर

पुरुषवाचक आदर सूचक 'आप'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	आप, आपने	आप लोग, आप लोगों ने
कर्म	आपको, मुझे	आप लोगों को
करण	आपसे	आप लोगों से
सम्प्रदान	आपको, के लिए	आप लोगों को, के लिए
अपादान	आपसे	आप लोगों से
सम्बन्ध	आपका, के, की	आप लोगों का, के, की
अधिकरण	आपमें, पर	आप लोगों में, पर

4. विशेषण (Adjective)

जो पद किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता या गुण को प्रकट करता है, उसे विशेषण कहते हैं, जैसे–सुन्दर स्त्री, गुणवान, में 'सुन्दर' और 'गुणवान' विशेषण है । जिसकी विशेषता प्रकट हो, उसे 'विशेष्य' कहते हैं ।

विशेषण – विशेषण अपने विशेष्य का क्षेत्र संकुचित कर देता है; जैसे–'व्यक्ति को बुलाओ' कहने पर लाने वाला किसी भी व्यक्ति को बुलाकर ला सकता है किन्तु जब यह कहा जाए कि गुणवान व्यक्ति को बुलाओ तो उसे ही बुलाना पड़ेगा । इस प्रकार विशेष्य का क्षेत्र संकुचित हो जाता है ।

विशेषण के प्रकार

विशेषण चार प्रकार के होते हैं :–

(1) गुणवाचक (Adjectives of Quality)

(2) संख्यावाचक (Adjectives of Number)

(3) परिमाणवाचक (Adjectives of Quantity)

(4) सर्वनामवाचक (Demonstrative Adjectives)

1. गुणवाचक विशेषण

जिन शब्दों से विशेष्य में पाए जाने वाले गुण, दोष, आकार, स्थान, समय, देश आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं ।

गुणवाचक विशेषण बहुत हैं । कुछ एक का नीचे वर्णन किया जाता है :–

गुण – धर्मात्मा, बुद्धिमान, भला, अच्छा, सुशील, दयालु, कृपालु ।

दोष – पापी, दुरात्मा, बुरा, लोभी, अभिमानी ।

आकार – गोल, सुडौल, सुन्दर, कुरूप, नुकीला ।

रंग – काला, पीला, नीला, लाल, हरा, सफेद ।

दशा – दुबला, पतला, सुखी, दुःखी, मोटा, गाढ़ा, गीला ।

देश – जापानी, चीनी, ईरानी, भारतीय ।

दिशा –पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी ।

स्थान – बाहरी, भीतरी, ऊँचा, नीचा ।

समय – प्रातःकालीन, सायंकालीन, उषा-काल, ब्रह्म-मुहूर्त, संध्याकाल, अर्वाचीन, प्रदोष-वेला, निशाकाल ।

काल – नया, पुराना, भूत, वर्तमान, गत, आगामी, मध्यकाल, अर्वाचीन, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, धातु युग, वीर गाथा काल, भक्ति काल, स्वर्ण युग, आधुनिक युग ।

2. संख्यावाचक विशेषण

जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं; जैसे–दो घोड़े, पाँचवाँ लड़का, दुगना लाभ आदि ।

संख्यावाचक विशेषण के भेद – (क) निश्चित् संख्यावाचक (ख) अनिश्चित् संख्यावाचक (ग) विभाग संख्यावाचक ।

(क) निश्चित् संख्यावाचक – जिन से निश्चित् संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित् संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं । इसके भी चार भेद हैं :–

(1) गणनावाचक (Cardinals), (2) क्रमवाचक (Ordinals), (3) आवृत्तिवाचक, (4) समुदायवाचक ।

(1) गणनावाचक – जिनसे गिनती की जाती है–एक, दो, तीन, चार, पाँच आदि ।

विशेष –(क) यदि गिनती बताने वाले विशेषणों के साथ एक लग जाए तो उससे गणना का निश्चित् रूप नहीं रहता प्रत्युत उसका अर्थ लगभग बन जाता है; जैसे–'बीस एक विद्यार्थी उपस्थित थे' का अर्थ है लगभग बीस विद्यार्थी उपस्थित थे ।

(ख) गिनती बताने वाले दो विशेषणों के साथ आने पर भी अर्थ अनिश्चित् हो जाता है; जैसे–पाँच-सात दिन के पश्चात् आ जाना ।

(2) क्रमवाचक – जिनसे क्रम का बोध हो, उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं जैसे–पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि ।

(3) आवृत्तिवाचक – ऐसे विशेषण जो विशेष्य के सम्बन्ध में यह बताएं कि वह कितने गुणा है जैसे–दो से दुगुना, तीन से तिगुना, चार से चौगुना, पाँच से पाँच गुणा आदि ।

(4) समुदायवाचक – जिस विशेषण से संख्या समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं; जैसे–दो से दोनों, तीन से तीनों, चार से चारों, पाँच से पाँचों आदि ।

(ख) अनिश्चित् संख्यावाचक – जिससे किसी निश्चित् संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित् संख्यावाचक विशेषण कहते हैं; जैसे–कई, कुछ, बहुत से, थोड़े, सारे, आदि ।

(ग) विभाग संख्यावाचक – जिसके लगने से विशेषण बोधक कई पदार्थों से हर एक का ज्ञान हो; जैसे–प्रत्येक, हर एक, हर कोई, हर दूसरा, हर तीसरा, हर चौथा, हर पाँचवाँ आदि ।

3. परिमाणवाचक विशेषण

जो विशेषण किसी वस्तु के माप, तोल अथवा परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं । इसके दो भेद हैं–

(क) निश्चित् परिमाणवाचक (ख) अनिश्चित् परिमाणवाचक ।

(क) निश्चित् परिमाणवाचक – जिससे किसी विशेष बोधित पदार्थ का निश्चित् परिमाण ज्ञात हो; जैसे– एक लिटर दूध, 500 ग्राम सोना, पाँच मीटर लम्बा और 10 मीटर चौड़ा कपड़ा ।

(ख) अनिश्चित् परिमाणवाचक – जिससे किसी विशेष बोधित पदार्थ का निश्चित् परिमाण अथवा नाप तोल का ज्ञान न हो; जैसे –बहुत दूध, थोड़ा सोना, बहुत लम्बा और थोड़ा-सा चौड़ा आदि ।

निश्चित् संख्यावाचक तथा अनिश्चित् संख्यावाचक में भेद

1. अनिश्चित् संख्यावाचक विशेषण उन विशेष्य बोधक पदार्थों के साथ आते हैं जो मापे अथवा तोले जा सकते हैं ।

अनिश्चित् संख्यावाचक विशेषण और उनके विशेष्य सदा बहुवचनान्त होते हैं और अनिश्चित् परिमाणवाचक सदा एकवचनान्त होते हैं; जैसे–

अनिश्चित् परिमाणवाचक	अनिश्चित् संख्यावाचक
थोड़ी जमीन	थोड़ा फल
बहुत वर्षा	बहुत फल
सब धन	सब व्यक्ति

जो विशेषण सर्वनाम होते हुए किसी की ओर निर्देश अथवा संकेत करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहते हैं; जैसे – 'यह पुस्तक' ,'वह घोड़ा' ।

विशेष – जब सर्वनाम शब्द अकेले आते हैं तब वे सर्वनाम ही रहते हैं किन्तु जब वे किसी संख्या से पहले आते हैं तब ये सार्वनामिक शब्द कहलाते हैं ।

सर्वनाम	सार्वनामिक विशेषण
वह आज मुझे नहीं मिला ।	वह घोड़ा लाल है ।

2. कई सर्वनामवाचक विशेषणों का रूप मूल से भिन्न होता है; जैसे यह, वह; और कई ऐसे होते हैं जिनका रूप मूल से भिन्न होता है; जैसे – ऐसा, वैसा, इतना, जितना, उतना, कितना आदि ।

तुलना की दृष्टि से विशेषणों की अवस्थाएं

(Degrees of Comparison)

पदार्थों के परस्पर गुण या दोष सूचित करना तुलना कहलाता है । तुलना की दृष्टि से विशेषणों की तीन अवस्थाएं हैं ।

(1) मूल (Positive), (2) उत्तर (Comparative), (3) उत्तम (Superlative) ।

1. मूलावस्था – जिसमें विशेष्य की किसी अन्य से तुलना नहीं होती प्रत्युत विशेषण का मूल गुण दर्शाया जाता है; जैसे –राम चतुर लड़का है ।

2. उत्तरावस्था – जिसमें दो पदार्थों की तुलना की जाती है और एक की अधिकता अथवा न्यूनता दर्शाई जाती है; जैसे – राम श्याम सुन्दर से अधिक चतुर है ।

3. उत्तमावस्था – जिसमें एक की तुलना दो से अधिक पदार्थों से की जाती है और उसे सबसे ऊँचा अथवा सबसे नीचा दर्शाया जाता है; जैसे–राम अपनी श्रेणी में सबसे चतुर है ।

तुलना सूचक विशेषणों के निर्माण के कुछ आवश्यक नियम–

(क) जिसके साथ तुलना की जाती है वह अपादान कारक में आता है और जिसकी तुलना की जाती है वह विशेषण के साथ आता है; जैसे–राष्ट्र का हित अपने स्वार्थ से बड़ा होता है ।

(ख) कई अवस्थाओं में अपादान कारक के साथ अपेक्षा, अधिक, न्यून आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है; जैसे–बल की अपेक्षा बुद्धि का अधिक महत्त्व है अथवा आय से बढ़ कर ज्ञान का अधिक मान है ।

तत्सम शब्दों के लिए संस्कृत के नियमानुसार मूलावस्था में मूल गुण, उत्तरावस्था में मूल गुण के पश्चात् 'तर' और उत्तमावस्था में मूल गुण के पश्चात् 'तम' प्रत्यय का प्रयोग करते हैं ; जैसे–

मूलावस्था	उत्तरावस्था	उत्तमावस्था
योग्य	योग्यतर	योग्यतम
श्रेष्ठ	श्रेष्ठतर	श्रेष्ठतम
निपुण	निपुणतर	निपुणतम
दूर	दूरतर	दूरतम
निकट	निकटतर	निकटतम
सुगम	सुगमतर	सुगमतम
अधिक	अधिकतर	अधिकतम
अल्प	अल्पतर	अल्पतम
उच्च	उच्चतर	उच्चतम
नीच	नीचतर	नीचतम
भद्र	भद्रतर	भद्रतम
नवीन	नवीनतर	नवीनतम

संज्ञा शब्दों का विशेषण

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
पाप	पापी	लोभ	लोभी
दया	दयालु	भूख	भूखा
दुःख	दुःखी	धर्म	धर्मात्मा
पर्वत	पर्वतीय	शरीर	शारीरक
मन	मनस्वी	नगर	नागरिक
विदेश	विदेशी	धन	धनाड्य (धनी)
नोक	नुकीला	लाख	लखपति
विरोध	विरोधी	संसार	सांसारिक
देश	देशी (देशवासी)	पाँच	पाँचवां
गुण	गुणी (गुणवान्)	कपड़ा	कपड़े वाला
साहस	साहसी	उत्साह	उत्साही
प्रेम	प्रेमी	इच्छा	इच्छुक
एक	एकांकी	भार	भारी
कूल	कुलीन	भारत	भारतीय
स्वर्ग	स्वर्गीय	नमक	नमकीन
भय	भयानक	शीत	शीतल
श्री	श्रीमती	विश्वास	विश्वस्त
हिन्दू	हिन्दुस्तानी	पंजाब	पंजाबी
बाहर	बाहरी	संचय	संचित
विकार	विकृत	बहिष्कार	बहिष्कृत
यूरोप	यूरोपीय	दिन	दैनिक
मास	मासिक	वर्ष	वार्षिक
सप्ताह	साप्ताहिक	पक्ष	पाक्षिक
त्रिमास	त्रैमासिक	राष्ट्र	राष्ट्रीय
सन्देह	सन्दिग्ध	द्रोह	द्रोही
शंका	शंकित	विषाद	विषण्ण
प्रसाद	प्रसन्न	विष	विषैला
ग्राम	ग्रामीण	बुद्धि	बौद्धिक

विशेषण के रूपान्तर

1. जो लिंग, वचन तथा कारक विशेष्य के होते हैं । वही प्रायः विशेषण के होते हैं ।

2. लिंग, वचन तथा कारकों के कारण से जो रूपान्तर होते हैं वे प्रायः विशेष्यों में होते हैं । कहीं-कहीं विशेषण में कुछ परिवर्तन हो जाता है; जैसे–

(क) लिंग के कारण केवल आकारान्त विशेषणों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे– पीला कपड़ा, पीली धोती, मोटा लड़का, मोटी लड़की ।

(ख) वचन के कारण कर्त्ता कारक के एकवचन को छोड़ कर शेष सब आकारान्त विशेषणों के अन्तिम 'आ' को 'ए' हो जाता है; जैसे–काला घोड़ा, काले घोड़े, पीला कपड़ा, पीले कपड़े ।

(ग) कारकों के कारण भी केवल आकारान्त विशेषणों में विकार होता है; जैसे – अच्छे लड़के को सब प्यार करते हैं । लम्बे वृक्ष से फल गिरते हैं ।

विशेष – विभक्ति-चिह्न सदा विशेषणों के साथ आते हैं ।

(घ) संस्कृत विशेषणों के रूप विशेष्य के अनुसार बदलते भी हैं और नहीं भी बदलते । सुन्दर बालिका भी शुद्ध है और सुन्दरी बालिका भी । आजकल विशेषणों के लिंग परिवर्तन की प्रथा हटती जा रही है ।

(ङ) कहीं-कहीं विशेषण ही विशेष्यों के रूप में प्रयुक्त होते हैं; जैसे–

दीनों पर दया करो (यहां दीन विशेषण के रूप में है), दुष्टों को मारो, श्रेष्ठों का आदर करो । (दुष्ट और श्रेष्ठ विशेषण यहां विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हुए हैं) ।

5. क्रिया (Verb)

क्रिया से दो अर्थों का बोध होता है–एक–व्यापार, दूसरा–फल; जैसे–''सोहन, मोहन को मारता है।'' इस वाक्य में मारने का व्यापार (पीटना) आदि तो सोहन कर रहा है किन्तु इस व्यापार का फल (मार) मोहन पर पड़ रहा है। इसी प्रकार 'कृष्ण रोता है, वाक्य में रोने का व्यापार (चिल्हाना, आंसू बहाना) कृष्ण कर रहा है और इस व्यापार का फल (दुःखी होना) भी कृष्ण पर पड़ रहा है। इस प्रकार निश्चय हुआ कि क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक वे जिनके व्यापार और फल भिन्न-भिन्न स्थान पर रहते हैं। दूसरी वे जिनके व्यापार और फल एक ही स्थान पर रहते हैं। पहली प्रकार की क्रियाओं को सकर्मक और दूसरी प्रकार की क्रियाओं को अकर्मक कहते हैं।

(1) सकर्मक क्रिया (Transitive Verb) – जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्त्ता को छोड़ कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं; जैसे–सोहन पुस्तक पढ़ता है।

(2) अकर्मक क्रिया (Intransitive Verb) – जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्त्ता में ही रहता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे–सोहन सोता है।

सकर्मक क्रियाएं कब अकर्मक बन जाती हैं?

जब सकर्मक क्रिया से केवल व्यापार प्रकट करना अभीष्ट हो और कर्म के प्रयोग की आवश्यकता न हो तब सकर्मक क्रिया अकर्मक बन जाती है, जैसे–कृष्ण देखता है, श्याम सुनता है, बिहारी बोलता है। इन वाक्यों में क्रमशः देखता है, सुनता है, बोलता है क्रियाएं सकर्मक होने पर भी अकर्मक हैं क्योंकि इन क्रियाओं के केवल देखने, सुनने और बोलने का व्यापार मात्र प्रकट होता है। यहाँ प्रकट नहीं होता कि कृष्ण क्या देखता है? श्याम क्या सुनता है? दूसरे शब्दों में इन तीन वाक्यों में कर्म की आवश्यकता नहीं। अतः वे दोनों सकर्मक होने पर भी अकर्मक कहलाती हैं।

अकर्मक क्रियाएं कब सकर्मक बन जाती हैं ?

(1) जब किसी सकर्मक क्रिया से पूर्व उसी क्रिया की भाववाचक संज्ञा जोड़ दी जाती है तो अकर्मक क्रिया भी सकर्मक बन जाती है; जैसे – राम अच्छी चाल चला; श्याम खूब चढ़ाई चढ़ा; मोहन अच्छी लड़ाई लड़ा; देव लम्बी 'दौड़' दौड़ा; प्रमोद सुन्दर 'खेल' खेलता है। इन वाक्यों में चाल, चढ़ाई, लड़ाई, दौड़, खेल आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं जिन्होंने अकर्मक क्रिया से जुड़ कर उन्हें सकर्मक बना दिया है।

(2) जब किसी अकर्मक क्रिया का व्यापार किसी दूसरे की प्रेरणा से होता है तब वह अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है। इसी क्रिया को प्रेरणार्थक (Causative) भी कहते हैं।

अकर्मक	सकर्मक
1. राम पढ़ता है	श्याम राम को पढ़ाता है।
2. कृष्ण हँसता है	सुन्दर कृष्ण को हँसाता है।
3. बालक कथा सुनता है	माता बालक को कथा सुनाती है।

विशेष – स्मरण रहे कि इस अवस्था में अकर्मक क्रिया का कर्त्ता सकर्मक क्रिया में कर्म और प्रेरणा करने वाला कर्त्ता बन जाता है।

प्रायः अकर्मक रहने वाली क्रियाएं

नीचे लिखे अर्थों वाली क्रियाएं अकर्मक होती हैं–

होना, लज्जित होना, जगाना, बढ़ना, क्षीण होना, डरना, मरना, जीना, सोना, चमकना।

अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त होने वाली क्रियाएं – नीचे लिखी क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती हैं–

बदला–

अकर्मक – मित्र तुम भी बदलो अब तो युग बदल चुका है।

सकर्मक – मैंने रात पहलू बदल-बदल कर काटी।

भरना–

अकर्मक – थोड़ा-थोड़ा सब दे दो तो मेरा काम बन जाएगा आखिर बूंद-बूंद से ही तो घड़ा भरता है।

सकर्मक – जब सरला ने आँखें भर कर मुझे देखा तो मैं रुक गया।

ललचाना–

अकर्मक – ताजी मिठाइयों में मेरा जी ललचाया ।

सकर्मक – ताजी मिठाइयां मेरे जी को ललचाती हैं ।

खुजलाना–

अकर्मक – मेरे घाव खुजलाते हैं ।

सकर्मक – यदि तुम मेरी पीठ को खुजलाओ तो मैं तुम्हें इसके लिए कुछ दूँगा ।

इसी प्रकार 'लज्जा' , 'घिस' आदि उभय विध धातुएं हैं ।

2. एक-कर्म और द्विकर्म क्रियाएं

कई सकर्मक क्रियाओं का एक कर्म होता है; जैसे–रवि ने खाना खाया, किन्तु कई सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, जैसे–'राम ने शाम को पत्र लिखा' । इस वाक्य में पत्र और शाम दो कर्म हैं । इसमें पत्र प्रधान अथवा मुख्य कर्म है और शाम अप्रधान अथवा गौण कर्म है ।

प्रधान तथा गौण कर्म पहचानने की रीति

गौण कर्म – क्रिया के साथ 'किस को' लगा कर प्रश्न से जो उत्तर आए वह गौण कर्म है, जैसे–''राम ने शाम को पत्र लिखा ।'' 'किस को?' प्रश्न का उत्तर है 'शाम को' ।

मुख्य कर्म – क्रिया के साथ 'क्या' लगा कर प्रश्न करने से जो उत्तर आए वह मुख्य कर्म होता है, जैसे–उपरिलिखित वाक्य में -पत्र' मुख्य कर्म है क्योंकि 'क्या लिखा?' का उत्तर 'पत्र लिखा' है । गौण या अप्रधान कर्म (Indirect Object) साधारणतया प्राणीवाचक होता है और प्रायः पहले आता है, तथा प्रधान कम (Direct Object) अप्राणीवाचक होता है और प्रायः पीछे आता है ।

3. द्विकर्मक क्रिया

द्विकर्मक क्रिया – जिस क्रिया के दो कर्म हों, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं; जैसे– सेठ ने मुनीम को पत्र लिखा ।

रोकना, जीतना, चुराना, उठाना, मांगना, चुनना, खुर्चना, दण्ड देना, पकाना, शासन करना, ले जाना, हराना, दोहराना, कहना, उपदेश देना आदि ।

अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं

ऐसी क्रियाएं जिनसे कर्म के रहते हुए भी पूरा-पूरा आशय प्रकट नहीं होता, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहते हैं । वे ये हैं–

करना – जैसे लक्ष्मण ने अपने भ्रातृप्रेम के कारण अपना नाम सदा के लिए 'अमर' कर दिया है ।

समझना – मैं तो उन्हें 'विद्वान्' ही समझता था ।

बनाना – वे तो तुम्हें 'उल्लू' बना रहे थे ।

मानना – हम तो उन्हें 'गुरु' मानते हैं ।

कहना – कौन आपको 'मूर्ख' कहता है ?

पाना – मैं उसे -'चतुर' पाता हूँ ।

दीखना – तुम बीमार 'दीखते' हो ।

अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं

ऐसी क्रियाएं जिनका केवल कर्त्ता से पूरा आशय प्रकट नहीं होता, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहते हैं, जैसे–

होना – आप बड़े (विद्वान्) हैं ।

रहना – मैं सदा (प्रसन्न) रहता हूँ ।

बनना – मेरे आगे तुम (चतुर) बनते हो ।

निकलना – वह तो सर्वथा (मूर्ख) निकला ।

पूरक

जो संज्ञा या विशेषण शब्द अपूर्ण अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के आशय को पूरा करने के लिए उनके साथ जोड़े जाते हैं, उन्हें पूरक कहते हैं । ये दो प्रकार के होते हैं–

कर्तपूरक – जो अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं के साथ जुड़ कर उनके आशय को पूरा प्रकट करते हैं; जैसे–वह (बीमार) है । वह (बलवान) है । तुम (मेधावी) हो ।

कर्मपूरक – जो अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं के साथ जुड़ कर उनके आशय को पूरा करते हैं; जैसे – मैंने ही तो तुम्हें इतना बड़ा बना दिया । मैं तो

उस चोर को (साधु) समझता हूँ। यह भले ही उसे अपना (मित्र) बनाए। तुम उसे (मूर्ख) बनाते हो।

अकर्मक धातु से सकर्मक बनाने के नियम

1. दो अक्षरों वाली धातुओं के पहले स्वर को और तीन अक्षरों वाली धातुओं के दूसरे स्वर को दीर्घ करने से अकर्मक धातु सकर्मक बन जाती है; जैसे–

मूल धातु	अकर्मक क्रिया	सकर्मक क्रिया
1. कट	कटना	काटना
2. मर	मरना	मारना

2. कुछ धातुओं के 'इ' को 'ए' और 'उ' को 'ओ' हो जाता है; जैसे–

मूल धातु	अकर्मक क्रिया	सकर्मक क्रिया
1. घिर	घिरना	घेरना
2. फिर	फिरना	फेरना

3. कुछ धातुओं के अन्तिम 'ट' को 'ड' बनाकर पहले 'अ' को 'आ' और 'उ, ऊ को ओ' हो जाता है; जैसे–

मूल धातु	अकर्मक क्रिया	सकर्मक क्रिया
1. फट	फटना	फाड़ना
2. छुट	छुटना	छोड़ना

4. प्रेरणार्थक क्रियाएं (Causal Verbs)

जिन क्रियाओं में प्रकट हो कि कर्त्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उस कार्य के करने को प्रेरणा कर रहा है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं; जैसे–कृष्ण अर्जुन से कर्ण को मरवाते हैं–'मरवाते हैं' –क्रिया का अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण स्वयं तो कर्ण को नहीं मारते किन्तु अर्जुन को प्रेरणा कर रहे हैं। प्रेरणा करने वाले को प्रेरक-कर्त्ता और जिसको प्रेरणा की जाती है उसे प्रेरित-कर्त्ता कहते हैं। ऊपर के वाक्य में श्री कृष्ण प्रेरित-कर्त्ता हैं।

विशेष – प्रेरणार्थक क्रियाएं सदा सकर्मक होती हैं, इसलिए जो क्रियाएं मूल में अकर्मक होती हैं, पहले उनसे सकर्मक क्रियाएं बनती हैं, पुनः प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं; जैसे–

मूल क्रिया	सकर्मक	प्रेरणार्थक
1. गिरना	गिराना	गिरवाना
2. पीना	पिलाना	पिलवाना

सब प्रेरणार्थक क्रियायें सकर्मक होती हैं ।

1. अकर्मक क्रिया की मूलधातु के अन्त में 'आ' लगाने से अकर्मक क्रिया सकर्मक और मूलधातु के अन्त में 'वा' लगाने से अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है; जैसे–

मूलधातु	अकर्मक	सकर्मक	प्रेरणार्थक
1. पढ़	पढ़ना	पढ़ाना	पढ़वाना
2. चल	चलना	चलाना	चलवाना

2. प्रेरणार्थक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं :–

(क) पहली प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरक कर्त्ता कारक में और प्रेरित करण कारक में होता है; जैसे–सरोजनी पढ़ती है, (स्वार्थ) । स्नेहलता सरोजनी को पढ़ाती है, (पहली प्रेरणार्थक क्रिया) । पिता सरोजनी को स्नेहलता से पढ़वाता है, (दूसरी प्रेरणार्थक) । इस वाक्य में पिता प्रेरक कर्त्ता है और स्नेहलता प्रेरित करण है । इन क्रियाओं की रचना के नियम ये हैं–

एक व्यंजन और एक स्वर वाले धातुओं के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके अन्त में 'ल' लगाने से पहली प्रेरणार्थक क्रिया और 'लव' लगाने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है; जैसे–

मूलधातु	सामान्य	पहली प्रेरणार्थक	दूसरी प्रेरणार्थक
1. दे	देना	दिलाना	दिलवाना
2. खा	खाना	खिलाना	खिलवाना

3. कुछ (एक अक्षर और स्वर वाली) धातुओं के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके 'व' लगाने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं; जैसे–

मूलधातु	सामान्य क्रिया	प्रेरणार्थ
1. ले	लेना	लिवाना
2. गा	गाना	गवाना

4. कुछ क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप मूलधातु के पश्चात् 'आ' और 'ला' लगाने से बनते हैं; जैसे–

मूलधातु	सामान्य क्रिया	पहली प्रेरणार्थक	दूसरी प्रेरणार्थक
1. कह	कहना	कहाना	कहलाना
2. देख	देखना	दिखाना	दिखलाना

5. कुछ मूलधातुओं के दीर्घ स्वर ह्रस्व करके 'वा' और 'लवा' लगाने से प्रेरणार्थक रूप बन जाते हैं; जैसे–

मूलधातु	सामान्य क्रिया	पहली प्रेरणार्थक	दूसरी प्रेरणार्थक
1. कह	कहना	कहाना	कहलवाना
2. देख	देखना	दिखाना	दिखलवाना

6. फुटकर प्रेरणार्थक क्रियाएं जिन पर कोई विशेष नियम लागू नहीं होता; जैसे–

मूलधातु	सामान्य क्रिया	पहली प्रेरणार्थक	दूसरी प्रेरणार्थक
1. भीग	भीगना	भिगोना	भिगवाना
2. चुभ	चुभना	चुभोना	चुभवाना

5. नाम-धातु क्रिया

जो नाम (संज्ञा अथवा विशेषण) धातु के समान प्रयुक्त होते हैं, उन्हें नाम-धातु कहते हैं और उनसे जो क्रियाएं बनाती हैं, उन्हें नाम-धातु क्रियाएं कहते हैं; जैसे–हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चपत से चपतियाना ।

नाम-धातु क्रिया के बनाने के नियम

1. कई नाम अर्थों के विचार के बिना परिवर्तन के धातु बन जाते हैं, ऐसे नाम के पश्चात् सामान्य क्रिया के चिह्न 'ना' लगाने से नाम-धातु क्रिया बन जाते हैं; जैसे–

नाम	नामधातु	नामधातु क्रिया
1. रंग	रंग	रंगना
2. गांठ	गांठ	गांठना

2. कईं नाम प्रत्यय लगाने से धातु बनते हैं । यदि ऐसे नामों का आदिम स्वर दीर्घ हो तो ह्रस्व कर देते हैं और उनके अन्त में प्रायः 'आ' , 'या' अथवा 'ला' प्रत्यय लगा देते हैं और यदि 'य' प्रत्यय परे हो तो अन्तिम स्वर को 'इ' हो जाता है; जैसे–

नाम	प्रत्यय	नामधातु	नामधातु क्रिया
1. लाज	आ	लज्जा	लजाना
2. साज	आ	सजा	सजाना

3. अनुकरण वाचक शब्दों से भी नामधातु बनते हैं; जैसे–

अनु.वा.	प्रत्यय	नामधातु	क्रिया
बड़ बड़	आ	बड़बड़ा	बड़बड़ाना

6. संयुक्त क्रिया (Compund Verb)

जब कोई क्रिया एक से अधिक मूल धातुओं के मेल से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं में पहली क्रिया मुख्य होती है और दूसरी क्रिया उसके अर्थों में विशेषता उत्पन्न करती है; जैसे–'मैं लड़ता हूँ' का अर्थ है 'मैं लड़ने का कार्य करता हूँ'। 'मैं लड़ सकता हूँ' का अर्थ है 'मुझ में लड़ने की शक्ति है। इस प्रकार दूसरी क्रिया 'सकता हूँ' ने पहली क्रिया 'लड़' में विशेष अर्थ पैदा कर दिए है।

अर्थों के विचार से संयुक्त क्रियाओं के भेद और उनके बनाने के नियम

1. आरम्भ बोधक – जिनसे किसी कार्य के आरम्भ का बोध हो। सामान्य क्रिया के 'ना' को 'ने' करके 'लगा' जोड़ देते हैं; जैसे –पढ़ना से पढ़ने लगा, बरसना से बरसने लगा, नाचना से नाचने लगा, गरजना से गरजने लगा।

2. अवकाश बोधक – जिनसे किसी कार्य के अवसर अथवा अवकाश का बोध हो। सामान्य क्रिया के 'ना' को 'ने' करके आगे 'देना' अथवा 'पाना' क्रिया जोड़ देते हैं; जैसे–जाना से जाने दो, मिलना से मिलने दो, करना से करने न पाया था आदि।

3. शक्ति बोधक – जिनसे किसी कार्य के करने का सामर्थ्य प्रकट हो। धातु के आगे 'सकना' क्रिया जोड़ देते हैं; जैसे–खा सकता हूँ, चल सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ।

4. समाप्ति बोधक – जिनसे किसी कार्य के समाप्त होने का बोध हो। धातु से आगे चुकाना क्रिया जोड़ देते हैं; जैसे – बरस चुका, खेल चुका, पढ़ चुका, रो चुका।

5. विशेषता बोधक – जिनसे किसी कार्य के करने की विशेषता का बोध हो। क्रिया के सामान्य रूप के आगे 'पड़ना' क्रिया जोड़ देते हैं;

जैसे–आना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, करना पड़ता है ।

6. नित्यता बोधक – जिससे कार्य की नित्यता का बोध हो । सामान्य भूतकालिका क्रिया के बाद 'करना' लगाने से; जैसे –घूमने जाया करता है, पढ़ने जाया करता है, आदि ।

7. इच्छा बोधक – जिनसे कार्य के करने की इच्छा प्रकट हो । क्रिया के सामान्य रूप के पश्चात् 'चाहना' जोड़ देते हैं; जैसे–खाना चाहता है,सोना चाहता है, लड़ना चाहता है ।

8. तत्काल बोधक – जिसे किसी कार्य के उसी समय करने या होने का बोध हो । सामान्य भूतकालिक क्रिया के अन्तिम स्वर को 'ए' में बदल कर उसके आगे 'देना' अथवा 'डालना' क्रिया लगा देते हैं ।

9. सातत्य बोधक – जिनसे किसी कार्य के लगातार होने का बोध हो । हेतुहेतुमद्भूत कालिका क्रिया के आगे 'चलना', 'जाना;, 'रहना' जोड़ देते हैं । अथवा सामान्य भूतकालिक क्रिया के अन्तिम स्वर को 'ए' में बदल कर उसके आगे ''चलना', 'जाना' और 'रहना' जोड़ते हैं; जैसे–करते चलो, करते चलो,बढ़ते चलो, पढ़ता रहता है, डरता रहता है ।

10. पूर्णता बोधक – जिनमें किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, धातु के अन्त में 'डाला' क्रिया जोड़ते हैं; जैसे–मार डाला, कर डाला ।

7. पूर्वकालिका क्रिया (Gerundive)

जब कर्त्ता एक क्रिया के समाप्त करते ही उसी समय दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं ।

दूसरी क्रिया मुख्य होती है, पूर्वकालिक क्रिया उसके अधीन होती है ।

स्मरण रहे कि पूर्वकालिक क्रिया अधिकारी होती है । इसके लिंग, वचन तथा पुरुष नहीं होते; धातु के अन्त में 'कर' अथवा 'करके' लगाने से यह क्रिया बनती है; जैसे–

(क) मोहन खा कर सो गया ।

(ख) कृष्ण खेल कर चला गया ।

दोनों वाक्यों में 'खा कर' और 'खेल कर' पूर्वकालिक क्रियाएं हैं ।

8. तात्कालिक क्रिया

जिससे मुख्य क्रिया के साथ होने वाले वाक्य की समाप्ति का बोध हो । धातु के आगे 'ते' प्रत्यय और 'ही' जोड़ने से यह बनती है; जैसे – वह दूध पीते ही सो गया । मैं खाना खाते ही स्टेशन पर चला गया ।

यह क्रिया भी पूर्वकालिक के समान अधिकारी और मुख्य क्रिया के अधीन होती है ।

क्रिया के रूपान्तर अथवा विकार

क्रियाओं में विकार के निम्नलिखित कारण है– लिंग, वचन, पुरुष, प्रकार, वाच्य और काल ।

(क) लिंग (Gender) – सुदर्शन पढ़ता है । मनोरमा पढ़ती है ।

(ख) वचन (Number) – लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं ।

(ग) पुरुष (Person) –मैं खाता हूँ, तुम खाते हो, वह खाता है ।

(घ) प्रकार (Mood) – राम पढ़ता है, राम को पढ़ना चाहिए । राम ! तू पढ़ ।

(ङ) वाच्य (Voice) – मनोहर खाना खाता है, मनोहर से खाना खाया जाता है ।

(च) काल (Tense) – अरविन्द ने गाया, अरविन्द गाता है; अरविन्द गाएगा ।

(क) लिंग (Gender)

संज्ञाओं के समान क्रिया के दो लिंग होते हैं – पुँल्लिंग और स्त्रीलिंग ।

पुँल्लिंग–राम देखता है ।

स्त्रीलिंग–शीला देखती है ।

(ख) वचन (Number)

संज्ञाओं के समान क्रिया के भी दो वचन होते हैं –एकवचन और बहुवचन ।

एकवचन – चूहा दौड़ता है ।

बहुवचन – चूहे दौड़ते हैं ।

(ग) पुरुष (Person)

क्रिया के तीन पुरुष होते हैं – उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ।

उत्तम पुरुष – मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं ।

मध्यम पुरुष – तू खेलता है, तुम खेलते हो ।

अन्य पुरुष – वह खेलता है, वे खेलते हैं ।

विशेष – क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कभी तो कर्त्ता के अनुसार होते हैं कभी कर्म के अनुसार और कभी इन दोनों में से किसी के भी अनुसार नहीं होते हैं । इस प्रकार प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के तीन प्रकार हुए–

कर्तृ प्रयोग – जिसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्त्ता के अनुसार होते हैं ।

2. कर्म प्रयोग – जिसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं ।

3. भाव प्रयोग – जिसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्त्ता कर्म में से किसी के अनुसार नहीं होते हैं ।

(घ) प्रकार (Mood)

क्रिया के उस रूप का नाम प्रकार है, जिससे उसके विधान की रीति का बोध होता है ।

हिन्दी भाषा में क्रिया के विधान की तीन रीतियाँ अथवा प्रकार हैं–

1. निश्चयार्थ – क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का निश्चय होता है उसे निश्चयार्थ कहते हैं । इसी को साधारण प्रकार भी कहते हैं; जैसे–नीचे लिखी क्रियाएँ इस रूप के अन्तर्गत हैं –

सामान्य वर्तमान – मनोहर लिखता है ।

अपूर्ण वर्तमान – मनोहर लिखता था ।

अपूर्ण भूत – मनोहर लिख रहा था ।

सामान्य भविष्यत् – मनोहर लिखेगा ।

2. संभावनार्थ – क्रिया के जिस रूप से किसी क्रिया के होने की सम्भावना, अनुमान, इच्छा, अनिश्चय, कर्त्तव्य अथवा सन्देह प्रकट हो; जैसे– नीचे लिखी क्रियाएं इस रूप के अन्तर्गत हैं–

(क) संदिग्ध वर्तमान – मनोहर ने लिखा ।

(ख) संदिग्ध वर्तमान – मनोहर लिखे ।

(ग) सामान्य भविष्यत् – मनोहर लिखता होगा ।

(घ) सम्भावना – वीर आता ही होगा ।

(ङ) अनुमान – आशा है कि वह आ गया होगा ।

(च) इच्छा – तुम्हारा कार्य सफल हो ।

(छ) अनिश्चय – यदि मेरी माता आ जाए ।

(ज) कर्त्तव्य – देश की रक्षा करना मेरा कर्त्तव्य है ।

(झ) सन्देह – बालक पढ़ रहा होगा ।

3. प्रवर्तनार्थक – क्रिया के जिस रूप से किसी काम में प्रवृत्ति का बोध हो उसे प्रवर्तनार्थक अथवा विध्यर्थक प्रकार कहते हैं । आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, प्रश्न, उपदेश और आदर को प्रकट करने वाले क्रिया के सभी रूप इसी प्रकार के अन्तर्गत है; जैसे–

(1) आज्ञा – लड़को ! अपना पाठ पढ़ो ।

(2) प्रार्थना – प्रभो ! मुझे असत्य मार्ग से बचाओ ।

(3) अनुमति – बेटा ! अब सो लो फिर पढ़ लेना ।

(4) उपदेश – किसी को गाली मत दो, कभी असत्य मत बोलो ।

(5) आदर – अपनी कृपा का हाथ सदा हम पर रखिएगा ।

(ङ) वाच्य और उसके भेद (Voice)

क्रिया के उस रूपान्तर को वाच्य कहते हैं जो यह बोध कराए कि वाक्य में क्रिया की विधि का मुख्य विषय कर्त्ता, कर्म अथवा भाव है । वाच्य तीन हैं–

1. कर्तृवाच्य (Active Voice) – जिस क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्त्ता हो । दूसरे शब्दों में जिस क्रिया का सीधा सम्बन्ध कर्त्ता से हो और क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्त्ता के अनुकूल हों; जैसे–वीरेन्द्र खाता है । इस वाक्य में 'खाता' है क्रिया का उद्देश्य वीरेन्द्र (कर्त्ता) है । यह मुख्य विषय है । खाना (कर्म) का वर्णन गौण है ।

2. कर्मवाच्य (Passive Voice) – जिनमें क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्म हो अर्थात् जिस क्रिया का सीधा सम्बन्ध कर्म से हो और क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्म के अनुकूल हों ; जैसे– 'वीरेन्द्र से खाना खाया जाता है ।' इस वाक्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय 'खाना' है । 'खाना खाया जाता है' यह मुख्य अंश है, 'वीरेन्द्र से' यह गौण अंश है ।

3. भाववाच्य –जिसमें क्रिया का मुख्य विषय भाव अर्थात् धातु का

आशय हो । इसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष भाव के अनुसार होते हैं; जैसे – मुझसे खेला नहीं जाता । उससे पढ़ा नहीं जाता । इस वाक्य में खेला जाना तथा पढ़ा जाना का अर्थ विषय है ।

विशेष – (1) कर्तृवाचक सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का होता है । कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं का होता है । (2) भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं का होता है ।

कर्तृवाच्य तथा भाववाच्य बनाने की रीति

सकर्मक कर्तृवाच्य सामान्य भूत क्रिया के आगे लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार 'जाना' के रूप जोड़ने से कर्मवाच्य और सकर्मक कर्तृवाच्य का सामान्य भूत क्रिया के आगे लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार 'जाना' क्रिया के रूप जोड़ने से भाववाच्य क्रिया बन जाती है; जैसे–

सकर्मक कर्तृवाच्य	**कर्मवाच्य**
शेर ने हिरण को पकड़ा है ।	शेर से हिरण पकड़ा गया है ।
मोहन खाना खाएगा ।	मोहन से खाना खाया जाएगा ।
अकर्मक कर्तृवाच्य	**भाववाच्य**
मैं नहीं खेलता ।	मुझ से खेला नहीं जाता ।
देव नहीं सोता ।	देव से सोया नहीं जाता ।

(च) काल (Tense)

परिभाषा : काल समय को प्रकट करता है । यह उस समय का बोध करवाता है जब कोई कार्य होता है । काल कभी समाप्त नहीं होता यह सदा बना रहता है ।

काल के प्रकार (Kinds of Tenses)

काल निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं–

1. वर्तमान काल (Present Tense)
2. भूत काल (Past Tense)
3. भविष्य काल (Future Tense)

1. वर्तमान काल – यह निम्नलिखित चार प्रकार का होता है ।

(क) वर्तमान सामान्य काल (Present Indefinite Tense)

जैसे–वह जाता है । तुम जाते हो ।

(ख) वर्तमान अपूर्ण काल (Present Continuous Tense)
जैसे–वह जा रहा है । तुम जा रहे हो ।
(ग) वर्तमान पूर्ण काल (Present Perfect Tense)
जैसे–वह जा चुका है । तुम जा चुके हो ।
(घ) वर्तमान पूर्ण निरंतर काल
(Present Perfect ContinuousTense)
जैसे–वह सुबह से वहाँ जा रहा है । तुम सुबह से वहाँ जा रहे हो ।

2. भूतकाल – यह भी चार प्रकार का होता है ।

(क) भूत सामान्य काल (Past Indefinite Tense)
जैसे–वह गया । तुम गये ।
(ख) भूत अपूर्ण काल (Past Continuous Tense)
जैसे–वह जा रहा था । तुम जा रहे थे ।
(ग) भूत पूर्ण काल (Past Perfect Tense)
जैसे–वह जा चुका था । तुम जा चुके थे ।
(घ) भूत पूर्ण निरंतर काल
(Past Perfect ContinuousTense)
जैसे–वह सुबह से वहाँ जा रहा था । तुम सुबह से वहाँ जा रहे थे ।

3. भविष्यकाल – यह भी चार प्रकार का होता है ।

(क) भविष्य सामान्य काल (Future Indefinite Tense)
जैसे–वह जाएगा । तुम जाओगे ।
(ख) भविष्य अपूर्ण काल (Future Continuous Tense)
जैसे–वह जा रहा होगा । तुम जा रहे होंगे ।
(ग) भविष्य पूर्ण काल (Future Perfect Tense)
जैसे–वह जा चुका होगा । तुम जा चुके होंगे ।
(घ) भविष्य पूर्ण निरंतर काल
(Future Perfect ContinuousTense)
जैसे–वह कल वहाँ जा चुका होगा । तुम कल वहाँ जा चुके होंगे ।

6. क्रिया विशेषण (Adverb)

जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का बोध हो, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं; जैसे–'सोहन धीरे-धीरे पढ़ता है' ,'मोहन जल्दी-जल्दी पढ़ता है' । इन दो वाक्यों में क्रमशः 'धीरे-धीरे' और 'जल्दी-जल्दी' शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है, इसलिए इन्हें क्रिया-विशेषण कहते हैं ।

विशेष – क्रिया-विशेषण अविकारी होते हैं, अर्थात् इनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष और वाक्य के कारण कभी नहीं बदलते। दूसरे शब्दों में क्रिया-विशेषण अव्यय (Undeclinable) शब्द होते हैं ।

क्रिया-विशेषण के भेद

क्रिया-विशेषण के चार भेद हैं – (क) कालवाचक, (ख) स्थानवाचक, (ग) परिमाणवाचक, (घ) रीतिवाचक ।

(क) कालवाचक – जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया के समय तथा अवधि का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे– अब, कब, जब, तब, आज, कल, परसों, अभी, कभी, तभी, फिर, बाद, निरन्तर, लगातार, सायं, प्रातः, दिन भर, रात भर, प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष पहले, पीछे, घड़ी-घड़ी, अब तक, कभी-कभी, कब तक, नित्य, बहुधा, शतधा, आजन्म, अहर्निश, आमरण, आजीवन इत्यादि ।

(ख) स्थानवाचक – जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया के स्थान अथवा दिशा का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे– इधर, उधर, जिधर, किधर, ऊपर, नीचे, वहाँ, यहाँ, पीछे, आगे, बाहर, सर्वज्ञ, साथ, पास, दूर, सामने, निकट, आर, पार इत्यादि ।

(ग) परिमाणवाचक – जिस क्रिया-विशेषण से क्रिया के परिमाण का बोध हो, उसे परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे–अत्यन्त, बहुत कुछ, जरा, सर्वथा, अधिक, तनिक, इतना, थोड़ा-सा, पर्याप्त, बराबर, थोड़ा-थोड़ा, किंचित, लगभग, अल्प, दीर्घ, गुरु इत्यादि ।

(घ) रीतिवाचक – जिस क्रियाविशेषण से क्रिया के करने अथवा होने की रीति का बोध हो, उसे रीतिवाचक विशेषण कहते हैं ।

रीतिवाचक क्रिया-विशेषण प्रायः नीचे लिखे अर्थों में आते हैं :–

1. क्रिया के करने के प्रकार – धीरे-धीरे, जल्दी-जल्दी, ध्यानपूर्वक, एकाएक, सहसा, सुखपूर्वक, रोता हुआ, हँसता हुआ, धड़ाधड़, झटपट, आप ही आप ।

2. निश्चय सूचक – ठीक, गलत, अवश्य, सचमुच, वास्तव में ।

3. अनिश्चय सूचक – शायद, संभवतः, कदाचित् ।

4. स्वीकृति सूचक – जी हाँ, हाँ, जी, बेशक ।

5. निषेध सूचक – न नहीं, मत ।

6. हेतु – इसलिए, अतएव ।

क्रिया-विशेषणों के बनाने के नियम

कुछ क्रिया-विशेषण मूल क्रिया विशेषण हैं, जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाने से नहीं बनते; जैसे – दूर, फिर, नहीं इत्यादि । किन्तु प्रायः क्रिया विशेषण यौगिक हैं जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं ।

1. संज्ञा से – क्षणमात्र, क्षणभर, प्रेमपूर्वक, ध्यानपूर्वक, क्रमशः, दिन भर, रात भर, महीने तक, वर्षों ।

2. क्रिया से – सोते-जागते, आते-जाते, उठते-बैठते, खड़े-खड़े, चाहे ।

3. सर्वनाम से – अब, कब, तब, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, कितना, जितना, यों, यूं, क्यों, कभी, वही, जब, अभी, तब, तभी इत्यादि ।

4. विशेषण से – धीरे, चुपके, पहले, दूसरे, तीसरे, जैसे, कैसे, ऐसे, वैसे, इत्यादि ।

5. अव्ययों के मेल से – ऊपर की, झट से, यहाँ तक, वहाँ तक ।

6. शब्दों की द्विरुक्ति से – दिन-दिन, साफ-साफ, धीरे-धीरे, तड़ा-तड़, धड़-धड़, जहाँ-जहाँ, हाथों-हाथ, एकाएक ।

7. भिन्न-भिन्न शब्दों के मेल से – जैसे सांझ-सवेरे, यथासम्भव; दिन-रात, जवानी-बुढ़ापा, आजकल, हरघड़ी, यथाशक्ति, आठ पहर, घर-बाहर, छमाहे, देश-विदेश, जब तक, अन्धाधुंध ।

7. सम्बन्धवाचक अव्यय (Prepositions)

जो अव्यय संज्ञा और सर्वनाम के आगे-पीछे आकर वाक्यों के दूसरे शब्दों से उनका सम्बन्ध बताते हैं, उन्हें सम्बन्धबोधक अव्यय कहते हैं; जैसे– राजा के सामने कौन आ सकता है, ऋषि के तुल्य देशोपकारक कौन था? भय के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। उपरिलिखित वाक्यों में 'सामने', 'तुल्य' और 'मारे' शब्द सम्बन्ध-बोधक अव्यय हैं।

1. विभक्ति के साथ प्रयुक्त होने वाले – राम की ओर, छत के ऊपर, दीवार के तले, पंडित की कन्या, घर के भीतर, स्कूल से दूर।

2. विभक्तियों के साथ प्रयुक्त होने वाले – वर्ष पर्यन्त, मित्र समेत, दिन भर, बन्धु सहित आदि।

दोनों प्रकार प्रयुक्त होने वाले – भगवान् के बिना अथवा भगवान् बिना, कृष्ण के द्वारा अथवा कृष्ण द्वारा, प्रशंसा के योग्य अथवा प्रशंसा योग्य।

8. समुच्चय बोधक अव्यय अथवा योजक (Conjunctions)

जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को मिलाते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय अथवा योजक कहते हैं; जैसे–और, भी, तथा, कि, अर्थात्, इसलिए, मानो।

योजक अव्ययों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है–

1. संयोजक – जो दो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों का मेल कराते हैं, उन्हें संयोजक अव्यय कहते हैं; जैसे मोहन और सोहन। राम तथा शाम। रमेश ने कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। परीक्षा समीप है इसलिए परिश्रम करो। रावण को मारने वाला अर्थात् राम। इन वाकयों के क्रमशः और, तथा, कि, इसलिए, अर्थात्, संयोजमक अव्यय है।

2. भेद बोधक – जो अव्यय शब्दों, वाक्याशों और वाक्यों का भेद बतलाते हैं, उन्हें भेद बोधक अव्यय कहते हैं। वे कई प्रकार के हैं।

(क) विरोध बोधक – जो अव्यय की बातों में पहली का निषेध करते हैं। परन्तु मगर, पर, वरन, बल्कि इत्यादि; जैसे – मैं भी देहली जाना चाहता हूँ परन्तु कुछ दिन ठहर कर। मैं विद्वान् तो नहीं हूँ किन्तु थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य रखता हूँ आदि इन वाक्यों में परन्तु विरोध और किन्तु बोधक अव्यय हैं।

(ख) परिणाम दर्शक – जिनसे किसी कार्य के कारण, परिणाम और उद्देश्य का पता लगता है। अतः अतएव, क्योंकि, जोकि, इसलिए, सो, ताकि इत्यादि। मैं बीमार था अतः स्कूल में उपस्थित न हो सका। क्योंकि वह परिश्रमी नहीं है उसे तो फेल होना ही था। जो बोएगा सो काटेगा। इन वाक्यों में अतः, इसलिए, सो आदि परिणाम दशक अव्यय हैं।

(ग) संकेत बोधक – जिनसे बात का इशारा मिलता है। यदि, यद्यपि, चाहे, पर, जो, तो इत्यादि। 'यदि डाक्टर समय पर न आता तो बीमार कभी न बचता।' जो तुम लड़ना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। 'यद्यपि उसने बड़ा परिश्रम किया है किन्तु उस की सफलता की आशा बहुत कम है।' इन वाक्यों में यदि, यद्यपि, जो, तो, संकेत बोधक अव्यय हैं।

(घ) स्वरूप वाचक – जो अव्यय पहली बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए आते हैं अर्थात्, मानो, यानि, यहाँ तक कि, इत्यादि; जैसे –सुदर्शन – चक्रधारी अर्थात् श्रीकृष्ण। मैं कभी भी समाज से अनुपस्थित नहीं रहता, यहाँ तक कि बीमारी में भी पहुँचने का प्रयत्न करता हूँ। देव यानि आपका भाई मुझे तंग करने लगा है।

(3) विकल्प बोधक – जो अव्यय कई वर्णों से विकल्प प्रकट करते हैं, उन्हें विकल्प बोधक कहते हैं। चाहे, अथवा, या, वा, किया आदि; जैसे–चाहे यहाँ रहो या देहली में मैं सप्ताह में एक बार तुम्हें मिल सकता हूँ। देव अथवा कृष्ण, राम या शाम।

विशेष – और, तथा, एवं, वा, चाहे, नहीं तो, परन्तु, पर, इसलिए आदि योजक संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं और कि, ताकि, जो, तो आदि मिश्रित वाक्य जोड़ते हैं।

9. विस्मयादिबोधक (द्योतक) (Interjection)

जो शब्द बोलने वाले के हर्ष, शोक, लज्जा, विस्मय आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं; जैसे–

हर्ष बोधक – शाबाश, बहुत खूब, वाह-वाह, धन्य-धन्य आदि ।

शोक बोधक – आह, हाय, त्राहि, राम-राम, बाप रे ।

आश्चर्य बोधक – ओहो, अहो, है, क्या ।

स्वीकृति बोधक – अस्तु, ठीक, हां, जी हां ।

सम्बोधन बोधक – अरे, अजी, ओ ।

तिरस्कार बोधक – धिक्, छिः, हट, परे, दूर, चुप ।

क्रोध बोधक – क्या, हट,, बस-बस, ओए ।

भय बोधक – हे परमात्मा, त्राहि-त्राहि, हे राम ।

ग्लानि बोधक – छिः, अरे, धिक्, थू, दूर ।

अनुमति बोधक – ठीक, हाँ, अच्छा, साधु ।

द्योतकों की रचना

संज्ञा से – हरे हरे, शिव शिव ।

विशेषणों से – पहला, दसवाँ ।

क्रिया – बस, दौड़ ।

क्रिया विशेषण – जहाँ-जहाँ ।